

झारखण्ड सरकार
वन एवं पर्यावरण विभाग

आठमात्र-04/ योबजट-54/ 2015- ५। / अा०

व०प० राँची, दिनांक :- 17.06.2015

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह,
सरकार के प्रधान सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (अन्य व्यय) के अन्तर्गत प्रमण्डल एवं रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति/इको विकास समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए कुल रु० 138.000 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख रुपये) भात्र का आवंटन निर्गत करने के संबंध में।

प्रसंग :- वन विभागीय पत्रांक 4/ योबजट-54/ 2015-12/ स्वी० व०प० दिनांक-16.06.2015

महाशय,

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक स्वीकृत्यादेश के हारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जाने वाली “लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना” (अन्य व्यय) के अन्तर्गत प्रमण्डल एवं रीजन स्तर पर संयुक्त वन प्रबंधन समिति/इको विकास समिति के उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रेरणा स्वरूप परिसंपत्तियों के सृजन हेतु राशि उपलब्ध कराने के लिए कुल रु० 138.000 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख रुपये) भात्र की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. तदनुसार उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध निम्न वर्णित लघुशीर्ष अंतर्गत/इकाईवार कुल 138.000 लाख (एक करोड़ अड़तीस लाख रुपये) भात्र की राशि आवंटित की जाती है :-

(राशि लाख रुपये में)

क्र० सं०	योजना का नाम	प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	बजटीय उपबंध	स्वीकृत राशि	वर्तमान आवंटित राशि
1	‘लघु वन पदार्थ का उन्नयन योजना’	भजदूरी	19P240601102090103	140.000	106.500	106.500
		आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601102090323	35.200	31.500	31.500
कुल राशि				175.200	138.000	138.000

ऑन-लाईन आवंटन की प्रति संलग्न है।

17/6

3. प्रासादिक व्यय वित्तीय वर्ष 2015-16 में कार्यान्वित की जानेवाली 'लघु वन पदार्थ' का उन्नयन योजना' बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप-मुख्य शीर्ष 01-वानिकी, लघु शीर्ष 102-समाज तथा फार्म वानिकी, उप शीर्ष 09-लघु वन पदार्थों का उन्नयन योजना के अंतर्गत संबंधित इकाई में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा इस योजनांतर्गत राशि का उप आवंटन आवंटित राशि के अन्तर्गत ही सीमित रखा जायेगा।
5. वित्त विभाग के पत्रांक-2561 दिनांक-17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी-पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।
6. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय कोषागार संहिता के नियम स0-300 एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत सुसंगत दिशा-निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol. (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से करना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत्यादेश में निहित समस्त दिशा-निर्देशों का समस्य अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जायेगा।
9. इस राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड की अधिसूचना संख्या-301 दिनांक-11.03.2015 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

अनु०-यथोक्त।


(अरुण कुमार सिंह)
सरकार के प्रधान सचिव।

41/अ०
17.6.2015

आवटन आदेश

आरबड सरकार

FOREST & ENVIRONMENT DEPARTMENT

चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट भीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 4/YB- 54/2015/41A

दिनांक -

17-Jun

क्रमांक	दिपत्र कोड	एक्सेस नं।	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601102090103 2406 वानिकी तथा बन्य जीवन 01 वानिकी 102 समाज तथा फार्म वानिकी 09 लघु बन पदार्थों का उन्नयन 01 वेतन एवं श्री 03 मजदूरी	43500	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	रुपये एक करोड़ छ: लाख पचास हजार 10,650,000.00
2	P 19 240601102090323 2406 वानिकी तथा बन्य जीवन 01 वानिकी 102 समाज तथा फार्म वानिकी 09 लघु बन पदार्थों का उन्नयन 03 प्रशासनिक व्यय 23 आपूर्ति एवं सामग्री	43500	DRNFWL056 SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS ADDI.PCCF.DEV.JHAR KHAND RANCHI	रुपये इकतीस लाख पचास हजार 3,150,000.00
				रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख 13,800,000.00

योग:

निमित्त योग:

रुपये एक करोड़ अड़तीस लाख

(ARUN KUMAR SINGH)

PRINCIPAL SECRETARY